

सं. ए-12018/20/2017-एमई
भारत सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

केन्द्रीय मनश्चिकित्सा संस्थान, रांची में प्रधान बढ़ई के पद के लिए प्रारूप भर्ती नियमों पर सार्वजनिक सूचना

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 13.10.2015 के का.ज्ञा.सं.एवी.14017/61/2008-एस्ट (आरआर) के अनुपालन में, केन्द्रीय मनश्चिकित्सा संस्थान, रांची में प्रधान बढ़ई के पद के लिए प्रारूप भर्ती नियम संलग्न हैं।

प्रारूप भर्ती नियमों पर आपत्ति/टिप्पणी करने या सुझाव देने के इच्छुक व्यक्ति (स्टेक होल्डर) अपनी आपत्ति/टिप्पणी या सुझाव इन प्रारूप भर्ती नियमों के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों की अवधि के अंदर लिखित रूप में श्री अजय कुमार केपी, अवर सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, कमरा नं. 521-ए, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली-110108 को या ई-मेल पते: ajaya59@gmail.com पर भेज सकते हैं।

(अजय कुमार केपी)

अवर सचिव, भारत सरकार

टेलीफोन: 011-23061342

नई दिल्ली

दिनांक:

सं. ए-12018/20/2017-एमई

अनुलग्नक

क्र.सं.	अनुसूची के अनुसार	वर्तमान भर्ती नियमों में प्रावधान	प्रस्तावित भर्ती नियमों में संशोधित प्रावधान	परिवर्तन के कारण/टिप्पणी
1.	पद का नाम	प्रधान बढ़ई	प्रधान बढ़ई	
2.	पदों की सं.	1	1 (कार्य-भार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	
3.	वर्गीकरण	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	
4.	वेतनमान (वेतन अब वेतन मैट्रिक्स में)	65-5/2-75 (पहला के.वे.आ.) 110-3-131 (दूसरा के.वे.आ.) 260-326-ईबी-8-350 (तीसरा के.वे.आ.) 950-20-1150-ईबी-25-1500 (चौथा के.वे.आ.) एस-5 (3050-75-3950-80-4590) (पांचवां के.वे.आ.) पीबी-1, जीपी: 1900 (छठा के.वे.आ.)	पे मैट्रिक्स का लेवल- 3 (रु. 21700)	निदेशक (सीआईपी) ने बताया है कि दूसरे केन्द्रीय वेतन आयोग में फ़िडर एवं प्रोन्ति वाले ग्रेड का समान वेतनमान रु. 110/3/131 है, इसलिए प्रधान बढ़ई का पद ग्रेड में 3 वर्ष कार्य कर चुके बढ़ई कर्मचारियों में से प्रोन्ति वाला पद है।
5.	क्या चयन पद अथवा अचयन पद	अचयन	अचयन	
6.	सीधे भर्ती के लिए आयु-सीमा	25वर्ष	लागू नहीं	प्रोन्ति वाले पदे के लिए आयु-सीमा अपेक्षित नहीं है।

7.	सीधे भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षणिक तथा अन्य अर्हता	किसी मान्यता प्राप्त संस्था से बढ़ई कार्यमें प्रमाण पत्र	लागू नहीं (प्रोन्नति वाला पद होने के कारण शैक्षणिक अर्हता मानदण्ड नहीं होना चाहिए)	
8	क्या सीधे भर्ती के लिए निर्धारित आयु एवं शैक्षणिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी।	लागू नहीं	लागू नहीं	
9.	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	2 वर्ष	कोई परिवीक्षा नहीं	समूह 'ग' में प्रोन्नति वाले पद के लिए कोई परिवीक्षा नहीं।
10.	भर्ती की पद्धति: क्या सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा या आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	100%प्रोन्नतिद्वारा	100%प्रोन्नतिद्वारा	
11.	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।	श्रेणीIV संस्थापना में बढ़ई कर्मचारी	ग्रेड में 3 वर्ष कार्य कर चुके बढ़ई कर्मचारियों में से।	
12.	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना		विभागीय प्रोन्नति समिति : 1. निदेशक (सीआईपी) – अध्यक्ष 2. सहायक प्रोफेसर-सदस्य 3. चिकित्सा अधिकारी-सदस्य 4. प्रशासनिक अधिकारी-सदस्य	
13.	भर्ती करते समय किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।	लागू नहीं	लागू नहीं।	लागू नहीं